NOW IN INDIA

100% Maintenance Free
★Longer Life & More Power★No Water Topping
★ Zero Defect Certified Product

HITACHI

Sri Balaji Batteries Kalpi Road, Darshanpurwa, Kanpur
Call : 9336125151, 9918900485

KANPUR HINDUSTAN 25/11/2016

हैलट में विधिक सेवा की सचिव घायलों से मिलीं

कानपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर गुरुवार को जिला प्राधिकरण की सचिव अर्चना गुप्ता ने टीम के साथ हैलट में घायलों से बेड पर जाकर बात की। घायलों से उन्होंने किसी भी तरह की कानूनी राय को जाना और हर किसी को शिकायत पत्र देने का भी न्योता दिया।

जिला सचिव ने बताया कि सभी घायलों को कह दिया गया है कि उन्हें हादसे के संबंध में प्राधिकरण हर तरह की मदद करेगा। फ्री में सभी की मदद की जाएगी।

घायलों की मदद को और लोग आगे आए: घायलों की मदद का सिलसिला गुरुवार को भी चलता रहा। लोगों ने घायलों को कपड़े और खाना बांटा।

ट्रेन का इंजन

कानपुर | प्रमुख संवाददाता

मुख्य संरक्षा आयुक्त पीके आचार्या ने गुरुवार को इलेक्ट्रिक लोको शेड, फजलगंज में खड़े इंदौर-पटना एक्सप्रेस के इंजन के कलपुर्जों का परीक्षण किया। आधे घंटे तक इंजन के हर पार्टस की नापजोख कराई। आगे वाले चक्कों को अपनी मौजूदगी में विशेषज्ञों से चेक कराया। इसके बाद इंजन फिट निकला। इंजन के स्पीडोमीटर को खुलवाकर देखा तो स्पीड 110 किमी. की थी। थ्रू पासिंग की वजह से इंदौर-पटना एक्सप्रेस जिस प्वाइंट पर दुर्घटनाग्रस्त हुई, उस प्वाइंट की स्पीड 110 किमी. रेलवे ने तय कर रखी थी।

भावनगर, अजमेर में हुआ था कोचों का मेंटीनेंस: पुखरायां में 20 नवंबर को दुर्घटनाग्रस्त हुई इंदौर-पटना एक्सप्रेस में लगे स्लीपर कोच की अजमेर और भावनगर कार्यशाला में मरम्मत की गई थी। एस-1 से 5 तक सभी कोच एक-एक बार ओवरहालिंग हो चुकी थी। एस-1 और एस-3 कोचों को मेंटीनेंस करने वाले दल ने भी इस बात के प्रमाण बयान में दिए हैं कि इन कोचों की मरम्मत भी समय से हुई। सीआरएस ने इन कोचों की समयावधि का ब्योरा बनाने वाली कोच

सेंट्रल स्टेश

रेल प

मुख्य संरक्ष
ट्रैक, सिग्नल
बुलाया 111
जवाब करने
71 फीसदी
जवाब संतोष
करते समय
को दिखाकर

फैक्टरी से मंग

सीआरएस को भिजवा स

जांच करने वाल
पास मजिस्ट्रेटी
एक्ट के किसी
की जान जाती
लिए जिम्मेदार क

K कोठरी प्रोडक्टस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : " पान पराग हाउस", दि माल, कानपुर – 208001
फोन. : (0512) 2312171-74, फैक्स न. : (0512) - 2312058 ई–मेल: rkgupta@kothariproducts.in,
website: http://www.kothariproducts.in सी.आई.एन : L16008UP1983PLC006254

शेयरधारकों के लिए सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि इनवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथोरिटी (अकाउंटिग, ऑडिट ट्रांसफर एंड रिफंड) नियमों, 2016 के नियम 6 के तहत, इसके पश्चात् " आईईपीएफ नियम " के रूप में संदर्भित।

i) **आईईपीएफ नियमों के नियम 6 के तहत सभी शेयरधारकों के सम्बन्ध में जिन्होंने पिछले निरंतर 7 वर्षो में डिविडेंट वारंटों का नगदीकरण नहीं करवाया है यह आवश्यक है कि उनके सम्बन्धित शेयर्स आईईपीएफ सस्पेंस अकाउंट (कम्पनी के नाम पर) (जो भी आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया हो) एक डिपॉजिटरी भागीदार के साथ अतंरित करवाने होंगें।**

ii) सम्बन्धित शेयर होल्डरों जिन्होने पिछले निरंतर 7 वर्षो में डिविडेंट वारंटों का नगदीकरण नहीं करवाया है। उन्हें इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत नोटिसों द्वारा सूचित किया जा चुका है।

iii) यह सूचना आईईपीएफ नियमों के नियम 6(3) (ए) के अनुपालन में है।

iv) **अत: वे सभी शेयर जिनके डिविडेंटों का दावा/भुगतान पिछले निरंतर 7 वर्षो के दौरान नही किया गया है उन्हें उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार आईईपीएफ सस्पेंस अकाउंट में अंतरित किया जाना है।**

v) **शेयरधारकों की सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु नाम,पता, फोलियो नं. डिमैट अकाउंट नं. और अतंरण हेतु शेयरों की संख्या निहित विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.kothariproducts.in पर उपलब्ध है। शेयरधारक जिन्होंनें पिछले निरंतर 7 वर्षो में अपने डिविडेंट का दावा नहीं किया है वे उपरोक्त कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को 6 दिसम्बर 2016 को या उससे पूर्व दावे को वैध बनाने हेतु और पूर्ण विवरण सहित लिख सकते हैं। यदि उपरोक्त तारीख तक वैध दावा नहीं किया गया तो सम्बन्धित शेयर्स 07 दिसम्बर 2016 से आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा निर्धारित एक डिपॉजिटरी भागीदार के साथ आईईपीएफ सस्पेंस अकाउंट को अतंरित कर दिये जाएंगे।**

vi) कोई व्यक्ति जिसके शेयर और बिना दावे किये डिविडेंट फंड को अंतरित हो गये हैं उन्हें शेयरों और बिना दावे किये डिविडेंट हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और निर्धारित दस्तावेज सहित फंड से दावा करना होगा।

स्थान : कानपुर
दिनांक : 24.11.2016

कृते कोठरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड
कृते ह0/
(राज कुमार गुप्ता)
कम्पनी सचिव

कानपुर विकास प्राधिकरण आव

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या–88 ब्ल
सीसामऊ की इन्डेन्चर डीड दिनांक 30.04.1936 को श्री लक्ष्मी नराय
नि. झाँसी के पक्ष में 99 वर्ष के लिये (प्रत्येक 33–33–33 वर्ष) अवासीर
458.75 वर्गगज की निष्पादित की गयी थी। श्री लक्ष्मी नरायन मिश्र पुत्र
नि. 108 / 75 गान्धी नगर कानपुर द्वारा अपने जीवन काल में एक
07.10.1963 (पंजीकृत दिनांक 6.05.1965) को अपने वारिसानों के
जिसके अनुसार अपनी मृत्योपरान्त वर्णित भूखण्ड (निर्मित भवन स.
कानपुर) का मालिकाना हक अपने एक मात्र पुत्र श्री जय नरायन मि
प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियों के अनुसार वर्णित
धारक श्री लक्ष्मी नरायन पुत्र स्व पं. लालमन मिश्र की मृत्यु दिनांक
इनकी पत्नी (प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र में पत्नी का नाम लल्ली की माँ
अंकित है) की मृत्यु दिनांक 20.01.1963 को हो चुकी है। जिसके क्रम
मिश्रा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नरायन मिश्र नि. 108 / 75 गान्धी नगर कानपुर
साथ शपथ पत्र मृत्यु प्रमाण पत्रों, रजि. वसीयत दिनांक 07.10.196
6.05.1965) आदि की प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करते हुये वर्णित भूख
वसीयत के आधार पर नामांतरण कराये जाने हेतु अनुरोध किया गर
उल्लेखनीय है कि उपरोक्तानुार वर्णित भूखण्ड की मूल इन्डेन्चर डीड
में नाम श्री लक्ष्मी नरायन पुत्र श्री बिहारी लाल अंकित है जब कि प्रस्तुत
नरायन पुत्र स्व. पं. लालमन मिश्र नि. 108 / 75 गान्धी नगर कानपुर अं
नरायन मिश्र के पिता का नाम श्री बिहारी लाल मिश्रा व श्री लालमन मिश्र
होने के संबंध में श्री जय नरायन मिश्रा पुत्र स्व. लक्ष्मी नरायन मिश्रा द्वा
शपथ पत्र एवं रजि. वसीयत में उल्लिखित गवाह श्री श्रीकान्त शुक्ला द्वार
एवं नगर निगम से कर निर्धारण संबंधी साक्ष्यों की छाया प्रति आदि को प्र
अवगत कराया गया है कि स्व. लक्ष्मी नरायन मिश्रा के पिता श्री बिहारी
नाम लालमन था जो कि वसीयत में लिखा गया है श्री बिहारी लाल व
एक ही व्यक्ति के है। यदि भविष्य में किसी प्रकार का वाद विवाद होता है
जिम्मेदारी शपथी की होगी। अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये इस
अलावा यदि कोई अन्य वारिस हो और अपना हक रखता हो अथवा पिता
के संबंध में यदि किसी अन्य को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति प्रका
अन्दर अपनी लिखित आपत्ति प्रमाणित साक्ष्यों सहित लाकर अधोहस्ता
जोन–1 में प्रस्तुत करें। अन्यथा उपरोक्त अवधि समाप्ति के पश्चात प्राप्त
पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वर्णित
वसीयत के आधार पर श्री जय नरायन मिश्रा के पक्ष में नियमानुसार
कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

डी.डी.वर्मा, विशेष कार्य